नहीं कि सन् 1961 में एमनेस्टी (Emnestt) इण्टरनेशनल की स्थापना होते ही विश्व भर में मानवाधिकार आन्दोलन चलाये गये हैं।

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (Universal Declaration of Human Rights)

10 दिसम्बर, 1948 को यूनाइटेड नेशन्स की जनरल एसेम्बली ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकृत और घोषित किया। इस ऐतिहासिक कार्य के बाद ही असेम्बली ने सभी सदस्य देशों से अपील की कि वे इस घोषणा का प्रचार करें और देशों या प्रदेशों की राजनीतिक स्थिति पर आधारित भेदभाव का विचार किए बिना विशेषतः स्कूलों और अन्य शिक्षा संस्थाओं में इसके प्रचार, प्रदर्शन और व्याख्या का प्रबन्ध करें। इस घोषणा में न सिर्फ मनुष्य जाति के अधिकारों को बढ़ाया गया बल्कि स्त्री और पुरुषों को भी समान व बराबर अधिकार दिए गए।

मानवाधिकार की परिभाषा व अर्थ (Meaning of Human Rights)

मानवाधिकारों को मूलाधिकार, आधारभूत अधिकार, अन्तर्निहित अधिकार तथा नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। मानव अधिकार की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, इसलिए विभिन्न देश इसकी परिभाषा देशकाल के अनुरूप देते हैं, विकसित देश मानवाधिकार की परिभाषा को मनुष्य के राजनीतिक तथा मानवीय अधिकारों तक ही सीमित रखते हैं। भारत सहित अन्य विकासशील देश मानवाधिकारों के अन्तर्गत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आधार को भी शामिल करते हैं। चीन तथा इस्लामी राज्य कहते हैं कि मानवाधिकार की परिभाषा सांस्कृतिक मूल्य के अन्तर्गत दी जानी चाहिए। अर्थात् मानवाधिकार में मनुष्यों के सांस्कृतिक अधिकार को भी शामिल किया जाना चाहिए। मानवाधिकार व्यक्ति के लिए सम्मान के सिद्धान्त पर आधारित है। इनकी मौलिक धारणा है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ गरिमा के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए जो एक नैतिक और तर्कसंगत बात है। मानवाधिकार सार्वभौमिक हैं। राष्ट्रों या विशेष समूहों को उन्हें केवल लागू करने वाले विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जबकि मानव अधिकार पर सबका अधिकार है।

मानव अधिकार की परिभाषा—मानव अधिकार से प्रायः, स्वतन्त्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से सम्बन्धित ऐसे अधिकार अभिप्रेरित हैं, जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं या अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्निविष्ट और भारतीय न्यायालयों में प्रवर्तनीय हैं। इसके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा 16 दिसम्बर, 1996 से अंगीकार की गई सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंगीकृत की गई, तथा ऐसी अन्य प्रसंविदा या अभिसमय जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अभिप्रेत है।

मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुसार :

''मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो मानव के जीवन, आत्मसम्मान और स्वतन्त्रता के लिए आवश्यक हैं।'' इसका अर्थ उन अधिकारों से लगाया जाता है जो मानव जाति के विकास के लिए मूलभूत हैं तथा मानव की गरिमा से सम्बन्धित हैं और मानवीय गरिमा के पोषण के लिए आवश्यक हैं। मानव अधिकार कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि यह मानव-जीवन से जुड़ी वह मूलभूत आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति किए बिना गरिमापूर्ण जीवन का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जिन अनुकूल परिस्थितियों की जरूरत है, उनकी समग्रता का नाम ही मानवाधिकार है।

मानवाधिकार मनुष्य के वे मूलभूत सार्वभौमिक अधिकार हैं, जिनसे मनुष्य को नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग आदि किसी भी दूसरे कारक के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता।

Scanned by CamScanner

भारत का संविधान अपने प्रत्येक नागरिक के मूल अधिकारों की सुरक्षा की जमानत देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में हर नागरिक को अपनी मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार सुनिश्चित करता है। इसके तहत हर मानव को गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने के साथ कुछ न्यूनतम आवश्यकताएँ भी अनिवार्य हैं, जिसमें मजदूरों (स्त्री एवं पुरुष) के स्वास्थ्य एवं शक्ति तथा बच्चों के शोषण के विरुद्ध संरक्षण के साथ बच्चों को स्वस्थ रूप से विकसित होने के साथ-साथ, स्वतन्त्रता एवं गरिमा का माहौल बनाए रखना, समान शिक्षा का अवसर प्रदान करना तथा मातृत्व सुविधा प्रदान करने के लिए न्यायपूर्ण एवं मानवोचित माहौल सरकार को बनाना चाहिए। लेकिन वास्तव में कुछ भी हो, परन्तु भारत के संविधान लागू होने के आधी सदी से अधिक बीत जाने के बाद लोगों में मानवाधिकारों के प्रति सजगता तो दिखती है परन्तु अपने कार्यक्षेत्र में अपने विरुद्ध किये जा रहे उत्पीड़न को चुपचाप सहते रहने की आदत-सी हो गई है। ऐसी हालत में मानवाधिकार के लिए उपयुक्त वातावरण पैदा करना, विकास का केन्द्रीय एवं अपरिवर्तनीय लक्ष्य बन गया है। मानवाधिकार की अन्तर्राष्ट्रीय घोषणा के तहत् निम्न अधिकार समाहित हैं—

- बोलने की स्वतन्त्रता का अधिकार
- न्यायिक उपचार का अधिकार
- सरकार में भागीदारी का अधिकार
- काम करने का अधिकार
- स्तरीय जीवन जीने का अधिकार
- आराम एवं सुविधापूर्ण जीवन जीने का अधिकार
- शिक्षा का अधिकार
- समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार
- सामाजिक सुरक्षा का अधिकार
- वैज्ञानिक प्रगति में भाग एवं उससे लाभ लेने का अधिकार
- जीवन, सुरक्षा एवं स्वतन्त्रता का अधिकार
- मनमाने ढंग से गिरफ्तारी अथवा निर्वासन के विरुद्ध अधिकार
- विचार, विवेक एवं धार्मिक स्वतन्त्रता
- निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र न्यायिक सुनवाई का अधिकार।

भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन (Formation of Human Rights Commission in India)

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 3 के अनुसार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन निम्नानुसार धारा 3 के तहत किया गया जिसमें भारत सरकार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के रूप में जानी जाने वाली एक संस्था का, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में तथा समनुदेशित कार्यों को निष्पादित करने के लिए गठन करेगी। इस आयोग में निम्नलिखित होंगे—

- अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा हो, या रहा हो,
- एक सदस्य, जो उच्चतम न्यायालय का सदस्य है, या सदस्य रहा है,
- एक सदस्य, जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, या मुख्य न्यायाधीश रहा है,
- दो सदस्य जिनकी नियुक्ति उन व्यक्तियों में से की जाएगी जिन्हें मानव अधिकारों से सम्बन्धित मामलों का ज्ञान हो, या उसमें व्यावहारिक अनुभव हो।

Scanned by CamScanner

भारत में मानव अधिकारों का इतिहास (Human Rights in India : Historical Prospective)

भारत में मानव अधिकारों का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। भारत में मानव अधिकारों का इतिहास का तिथिवार ब्यौरा निम्न प्रकार से है–

- सन् 1829 में राजा राममोहन राय द्वारा चलाए गए हिन्दू सुधार आन्दोलन के बाद भारत में ब्रिटिश राज्य के दौरान सती प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया।
- 1929 में बच्चों को शादी से बचाने के लिए बाल विवाह निरोधक कानून पास हुआ।
- सन् 1947 ब्रिटिश राज्य की गुलामी से भारतीय जनता को आजादी मिली।
- सन् 1950 में भारतीय गणतंत्र का संविधान लागू हुआ।
- सन् 1955 में भारतीय परिवार कानून में सुधार। हिन्दू महिलाओं को और ज्यादा अधिकार मिले।
- सन् 1973 में केशवानंद भारती वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि संविधान संशोधन द्वारा संविधान के मूलभूत ढाँचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। (जिसमें संविधान द्वारा प्रदत्त कई मूल अधिकार भी शामिल हैं)।
- सन् 1989 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों से सुरक्षा) एक्ट 1989 पास हुआ।
- सन् 1992 में संविधान में संशोधन के जरिए पंचायत राज्य की स्थापना, जिसमें महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण लागू हुआ। अजा-अजजा के लिए भी समान रूप से आरक्षण लागू।
- सन् 1993 में (प्रोटेक्शन ऑफ हयूमन राइट्स एक्ट (Protection of human right Act), के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना।
- सन् 2001 में खाद्य अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त आदेश पास किया।
- सन् 2001 में सूचना का अधिकार कानून पास।
- 2005 रोजगार की समस्या हल करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी एक्ट पास।
- सन् 2005 में भारतीय पुलिस के कमजोर मानव अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधार के निर्देश दिए।

उपर्युक्त के साथ-साथ भारतीय संविधान में भी मूल अधिकारों की बात कही गई है। 26 जनवरी, 1950 ई. से लागू भारतीय संविधान ने भी कतिपय मौलिक अधिकार जनता को दिए हैं किन्तु सम्पत्ति के अधिकार पर आधारित होने के कारण ये उतने व्यापक नहीं हो सके हैं जितने सोवियत संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार थे। भारतीय संविधान ने धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग के भेदभाव को मिटाकर कानून के समक्ष समता का अधिकार प्रदान किया है। अस्पृश्यता तथा बेगारी का अंत कर दिया है। सरकार की ओर से मिलने वाली उपाधियों का अंत कर दिया है। भाषण, सभा, संगठन, आवागमन की स्वतन्त्रता प्रदान की गई है। शोषण के संरक्षण का अधिकार दिया गया है। दैहिक स्वतन्त्रता (Physical Freedom) का अधिकार दिया गया है जिसके अन्तर्गत बिना कारण बताए किसी नागरिक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय से न्याय पाने का अधिकार होगा। विश्वास के आधार पर धर्म को मानने, प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। धर्म, सम्प्रदाय अथवा भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाएँ स्थापित करने तथा उनकी व्यवस्था करने का अधिकार होगा। सम्पत्ति रखने, बेचने और खरीदने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को दिया गया है। मानव अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक उपचार का भी अधिकार दिया गया है।

Scanned by CamScanner

मानवाधिकार उल्लंघन के विभिन्न स्वरूप एवं समस्याएँ
(DIFFERENT TYPES OF HUMAN RIGHT VIOLATION AND ITS PROBLEMS)

राज्य या राज्य प्रशासन के द्वारा मनुष्य के मूलभूत प्राकृतिक अधिकारों का हनन किया जाना कोई नई बात नहीं है। इतिहास साक्षी है कि जब-जब किसी व्यक्ति ने अपने अधिकारों को माँगा है तो उसे शासन से संघर्ष का सामना करना पड़ा है। कम्यूनिस्ट विचारकों के मतानुसार राज्य मशीनरी, जनता के शोषण का एक माध्यम होता है जिसे पूँजीवादी व्यवस्था अपने अस्तित्व को बचाने तथा सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रयोग करती है। प्राचीन इतिहास की पर्तें खोलकर देखें तो पता चलता है कि दास प्रथा को नष्ट करने में दासों ने ही अग्रणी भूमिका निभाई थी जिसके लिए असंख्य दास मौत के घाट उतार दिए गये थे। भारत से ब्रिटिश राज को समाप्त करने के लिए जो भी आन्दोलन हुए वे सभी शान्तिपूर्वक विधि तथा संवैधानिक विधियों के द्वारा संचालित होते थे। इसके उपरान्त भी भारत में जलियाँवाला बाग गोलीबारी काण्ड हुआ था जो मानवाधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन था। इस प्रकार के अनेक उदाहरण भी उस समय के हैं जैसे सूखा पीड़ित होने के बावजूद भी किसानों से जबरन और बड़ी मात्रा में लगान वसूली जाती थी या स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ रहे हजारों निर्दोष व्यक्तियों को अण्डमान निकोबार में काले पानी की सजा दे दी जाती थी। स्वतन्त्र भारत में 1977 की इमरजेन्सी के समय लाखों की संख्या में निर्दोष व्यक्तियों को बन्धक बना लिया गया था। कई स्थानों पर शान्तिपूर्वक आन्दोलन कर रहे लोहिया समर्थकों के साथ में राज्य पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया गया। पंजाब के खालिस्तान आन्दोलन को कुचलने के लिए हजारों बेगुनाह सिख युवकों पर तरह-तरह के अत्याचार राज्य सरकार तथा पुलिस द्वारा किये गये, जिनमें अनेक फर्जी पुलिस मुठभेड़ें आज भी न्यायालयों में लम्बित हैं। जम्मू कश्मीर के अनेक नौजवान को फर्जी मुठभेड़ों में मारे जाने के समाचार प्रतिदिन के समाचारों में आते ही रहते हैं। एक ऐसी ही मुठभेड़ों का खुलासा तो एक सेना अधिकारी ने स्वयं ही किया था। जिसमें उस सैन्य अधिकारी ने कहा था कि पद में पदोन्नति के लिए उन्होंने तथा उनके अनेक जानकार अधिकारियों ने कई फर्जी मुठभेड़ों में बेगुनाह युवकों को यह कह कर कत्ल किया कि वे तथाकथित उग्रवादी हैं। उत्तराखण्ड को पृथक् राज्य बनवाने के लिए, किये गये अनेक आन्दोलनकारियों को मौत के घाट उतारा गया जिसमें सबसे बड़ी व शर्मनाक मानवाधिकार की घटना 'रामपुर तिराहा हत्या काण्ड' को देखा जाता है। इसमें तत्कालीन सरकार ने सैकड़ों आन्दोलनकारी पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया तथा बेहरमी से अनेकों महिलाओं से बलात्कार करके नृशंसता से मार भी डाला गया। उस त्रासदी पर आज तक कोई ऐसी सुनवाई किसी अदालत में नहीं हुई कि जिससे ये लगता हो कि सरकार अपने नागरिकों के मानवाधिकारों के लिए कुछ कर रही है। या उन लोगों को ऐसी त्वरित सजा मिलती हो जो मानवाधिकार हनन के स्पष्टतया दोषी पाये जाते हैं। उपरोक्त घटनाओं से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अपरोक्ष रूप से सरकारें ही मानवाधिकार हनन की दोषी होती हैं क्योंकि पुलिस बल या सेना अपनी आवश्यकता नहीं वरन् राज्य की सुरक्षा का कार्य राज्य के आदेश पर, राज्य के अनुसार ही करती हैं। इसी सिलसिले में Human Rights Watch, Amnesty International जैसी संस्थाएँ, विश्व भर में हो रहे मानवाधिकारों के हनन पर अपने सर्वे पर आधारित रिपोर्ट तैयार करके राज्य तथा उनकी सरकारों पर दबाव बनवाती है कि मानवाधिकारों की सुरक्षा की जा सके।

एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार इस समय भारत में एक बहुत बड़ी संख्या बाल श्रमिकों के रूप में कार्य करती है। जबकि मानवाधिकार की घोषणा का स्पष्ट निर्देश है कि 18 वर्ष से कम आयु के अवयस्कों से किसी प्रकार का शारीरिक श्रम नहीं लिया जाना चाहिए तथा राज्य का उत्तरदायित्व है कि वह इन बच्चों को उचित शिक्षा तथा भोजन की व्यवस्था करे। आँकड़ों से स्पष्ट है कि (2011 की जनसंख्या) भारत में 19% पुरुष तथा 35% महिलाएँ अनपढ़ हैं। सोचने का विषय है कि ये अनपढ़ लोग शिक्षा के मूल मानवाधिकार से कैसे वंचित रह गये, क्या सरकार मानवाधिकार के उल्लंघन की दोषी नहीं है। यदि

Scanned by CamScanner

संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार शिक्षा तथा भोजन मानवाधिकार है तो भारत, अफ्रीका व तीसरी दुनिया के करोड़ों लोग अशिक्षित हैं तथा भूख व कुपोषण से मर क्यों जाते हैं। यही भूख से मरते लोग आन्दोलन करते हैं। या रोटी की माँग करते हैं शासन उनका बलात् दमन करता है इस प्रकार मानवाधिकार एक वैश्विक व गम्भीर समस्या है।

मानवाधिकार हनन के विरुद्ध किये गये प्रयत्न (Efforts Made to Address the Problem of Human Rights Violation)

मनुष्य के द्वारा मनुष्य के शोषण को किसी भी प्रकार से तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता, न कोई सभ्य समाज इसको स्वीकार ही करना चाहता है। परन्तु जब हम धरातल पर आकर देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि समाज की बहुत बड़ी आबादी किसी न किसी प्रकार से मानव के मूलभूत अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष करते हुए पाती है। यह आबादी अपनी मूलभूत मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपना पूरा-पूरा जीवन खपा देती हैं। इसी प्रकार की कोशिशों तथा निरन्तर प्रयासों का प्रतिफल है कि आज के समाज में परोक्ष रूप से मानवाधिकार के हनन की सम्भावना बहुत क्षीण हो गई है। जब तक मनुष्य में आर्थिक तथा सामाजिक असमानता रहेगी, शोषण होता रहेगा व मनुष्य का मनुष्य के ही द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन होता रहेगा। हाँ, इस प्रकार के उल्लंघनों का स्वरूप बदलता रहेगा। आवश्यकता है निरन्तर संघर्षशील प्रवृत्ति से अपने मूल अधिकारों के प्रति सचेत रहने की।

भारत तथा विश्व में अनेक ऐसे नियम व अधिनियम बनाए गए हैं जिनसे मानवाधिकारों को पारिभाषित किया गया है तथा उनके उल्लंघन करने पर उचित कार्यवाही का भी प्रावधान किया गया है। जैसे-जैसे ये नियम कमजोर या ढीले पड़ते जाते हैं अनेक संस्थानों द्वारा इनमें आवश्यक सुधार भी करवाने के प्रयास किये जाते रहेंगे। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, विश्व के विभिन्न स्थानों पर हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों पर सजग रहकर राज्यों को दिशा-निर्देश भी देता है तथा आवश्यक कार्यवाही करने का प्रयास करता है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका द्वारा इराक व अफगानिस्तान में किये युद्ध के समय संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) तथा अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (IHRC) ने सामान्य नागरिकों की सुरक्षा के लिए अनेक कार्यक्रमों का संचालन किया था। इसी प्रकार की अन्य गैर-सरकारी संस्थाएँ (NGO's) मानवाधिकारों के प्रति संघर्षशील हैं। इस तरह की कुछ संस्थाओं के बारे में विस्तार से निम्नलिखित बिन्दुओं में प्रकाश डाला गया है—

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission)

भारत में मानव हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा मानवाधिकार कानून को हर क्षेत्र में सन् 1993 में लागू किया गया था। **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** [National Human Rights Commission : (NHRC)] एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर, 1993 को हुई थी। लेकिन सच यह है कि प्रचार-प्रसार के अभाव में अधिकतर लोगों को इससे मिलने वाले लाभ का पता ही नहीं है। इसके चलते लोग आज भी पीड़ित हैं, वे अपनी बात को लेकर न तो पुलिस के पास जाते हैं और न किसी को अपनी पीड़ा दर्शाते हैं। वहीं मानवाधिकार के तहत् कई मामले थाने में दर्ज नहीं करवाये जाते हैं। प्रचार-प्रसार नहीं होने के कारण ग्रामीणों को इस सुविधा का पता ही नहीं है। सिर्फ दलाल ही आम लोगों को बेवकूफ बनाकर इसका लाभ उठा रहे हैं। प्रशासन की हीलाहवाली के कारण ही लोगों तक पर्याप्त जानकारी नहीं पहुँच पाती है। इसमें सुधार की आवश्यकता है ताकि आम जनता को मानवाधिकार का लाभ मिल सके। मानव अधिकार और नागरिक अधिकारों के क्षेत्र में पढ़ाई, प्रशिक्षण, शोध, प्रकाशन, सम्मेलन संगठन और परामर्श के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था की स्थापना के लिए मानव अधिकार

Scanned by CamScanner

के भारतीय संस्थान (Indian Institute of Human Rights) नई दिल्ली में मार्च 1990 को की गई।

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में किये गये संशोधन (Human Rights Protection Act Amendments)

भारत सरकार ने 8 दिसम्बर, 2005 को राज्य सभा में मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2005 प्रस्तुत किया है जिसमें मुख्यतः निम्नलिखित की व्यवस्था की गई है—

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) और राज्य मानवाधिकार आयोग (एचएसआरसी) के अध्यक्ष, सम्बन्धित आयोगों के सदस्यों से अलग होते हैं।
- उच्चतम न्यायालय के कम-से-कम तीन वर्ष की सेवा वाले न्यायाधीशों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का पात्र बनाया जा सकेगा।
- उच्च न्यायालयों के कम-से-कम पाँच वर्ष की सेवा वाले न्यायाधीशों को ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का पात्र बनाया जा सकेगा। जिला न्यायाधीश के रूप में कम-से-कम सात वर्ष के अनुभव वाले जिला न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनाया जा सकेगा।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्राप्त शिकायतों को सम्बन्धित एसएचआरसी को भेजने के लिए उसे इसके योग्य बनाना।
- राज्य सरकार को पूर्व में सूचना दिए बिना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को किसी भी जेल या अन्य संस्थानों का दौरान करने के लिए योग्य बनाना।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को अपने त्याग पत्र लिखित रूप में भारत के राष्ट्रपति को सम्बोधित करने और एसएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों को सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल को सम्बोधित करने के लिए सक्षम बनाना।
- जाँच के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और एसएचआरसी को अंतरिम सिफारिशें करने के लिए सक्षम बनाना।
- न्यायिक कार्यों की शक्तियों को छोड़कर एनएचआरसी और इसके अध्यक्ष को कतिपय शक्तियाँ और कार्य, एनएचआरसी के महासचिव को प्रत्यायोजित करने की शक्तियाँ प्रदान करना।
- यह प्रावधान करना कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के रूप में माना जाएगा।
- भविष्य के अन्तर्राष्ट्रीय करारों और अभिसमयों, जिन पर अधिनियम लागू होगा, को अधिसूचित करने के लिए केन्द्र सरकार को सक्षम बनाना।

Scanned by CamScanner